



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-615 राँची, मंगलवार,

14 दिसम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

26 अक्टूबर, 2021

विषय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के अंतर्गत World Trade Centre की स्थापना राँची में किये जाने एवं राज्यांश के रूप में ₹27.42 करोड़ (₹ सताईस करोड़ बियालीस लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-04/उ०नि०/ TIES/WTC, राँची-15/2020-1061--उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना Trade Infrastructure For Export Scheme (TIES) के अंतर्गत राँची में World Trade Centre की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेंसी झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम(जिडको) राँची के माध्यम से राज्यांश के रूप में ₹27.42 करोड़ (₹ सताईस करोड़ बियालीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-27.03.2017 के द्वारा इस Trade Infrastructure For Export Scheme (TIES) योजना का उद्देश्य है:- To enhance export competitiveness by bridging gaps in export infrastructure, creating focused export infrastructure, first mile and last mile connectivity for export oriented projects and addressing quality and certification measures including SPS/TBT compliance.

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न आधारभूत संरचनाओं यथा- setting up and up-gradation of infrastructure projects with overwhelming export linkages like the Border Haats, Land Customs Stations, Quality testing & Certification Labs, Cold chains, Trade promotion Centers, Dry ports, Export Warehousing and Packaging, SEZs & Ports/ Airports Cargo Terminals. Last and first mile connectivity projects related to export logistics will also be considered. स्थापित किया जाना शामिल किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में निर्यात से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को विकसित एवं उन्नयन करते हुये निर्यात की प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता बढ़ाने एवं निर्यात से संबंधित अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना है। इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार, उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के अंतर्गत World Trade Centre की स्थापना के संबंध में अधिसूचना के अंतर्गत 47.03 करोड़ की लागत से World Trade Centre की स्थापना हेतु 19.61 करोड़ रुपये केन्द्रांश की स्वीकृति एवं 9.8 करोड़ का प्रथम किस्त की विमुक्ति इस योजना की Implementing Agency JIIDCO को उपलब्ध करायी गई है। शेष राशि 27.42 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में जिडको के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही इसके लिए शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा Smart City राँची में 4.07 एकड़ भूमि निःशुल्क उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। राँची में 4.07 एकड़ भूमि निःशुल्क उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस योजना के अन्तर्गत implementing agency JIIDCO की equity के समतुल्य अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20 करोड़ होगी, भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी जा सकती है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार की एजेंसी Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation Ltd. (JIIDCO) का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। परियोजना लागत में implementing agency के contribution की गणना हेतु भूमि की लागत शामिल नहीं होगी। समय-समय पर इस परियोजना की समीक्षा सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित Empowered Committee के द्वारा समय-समय पर इस परियोजना की समीक्षा की जाएगी।

3. झारखंड राज्य एक land locked राज्य है तथा राज्य तसर सिल्क के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है यहां से handicraft, lac produce, forest produce, textile, steel, refractories, vegetables and process food एवं अन्य उत्पादों के निर्यात की असीम संभावनाओं को देखते हुये राज्य के राँची में Trade promotion centre की स्थापना हेतु योजना कार्यान्वित किया जाना है।

4. जिडको के द्वारा निविदा के माध्यम से राँची में World Trade Centre की स्थापना हेतु Detailed Project Report तैयार करने हेतु परामर्शी (Mass N Void Design Consultants, New Delhi) की नियुक्ति कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया। परामर्शी द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के समक्ष समर्पित किया गया। दिनांक 15.10.2018 को आयोजित Empowered Committee on TIES की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत कतिपय सुझाव दिये गये।

उपरोक्त बैठक में प्राप्त सुझावों के आलोक में परियोजना प्रतिवेदन संशोधित कर भारत सरकार को समर्पित किया गया। संशोधित परियोजना प्रतिवेदन में निम्नांकित सुविधाएँ प्रस्तावित हैं। Building of 5 floors (basement parking – 44 vehicles) and Open parking of 84 Cars & 92 Two wheelers.

प्रस्तावित भवन में Exim Bank, Certification Lab, Export Promotion Offices like APEDA, DGFT, FIEO etc. Export related Institutes like IIFT etc., Offices for exporting units. Seminar hall- two nos. 240 capacity each, multipurpose hall: 600 capacities, Cafeteria. Exhibition Space: Open Exhibition Space and Sitting Area 230 Meter Square.

5. दिनांक 26 जुलाई 2019 को सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ सचिव, उद्योग के विमर्श में प्रस्तावित World Trade Centre (WTC) के लिए आवश्यक भूमि देने पर सहमति व्यक्त की गई तथा वर्तमान में आवश्यकता के आलोक में ही भूमि की मांग करने का परामर्श दिया गया। इस क्रम में सचिव, उद्योग के पत्रांक 1444 दिनांक 29.07.2019 के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत परियोजना की आवश्यकता का आकलन कर अनुमानित 4.07 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से किया गया है। इस योजना हेतु आवश्यक भूमि 4.07 एकड़ नगर विकास एवं आवास विभाग से निःशुल्क उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा।

इस क्रम में ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी राँची के पत्र जापांक-40 दिनांक 19.03.2021 जो अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सम्बोधित है, के द्वारा WTC के निर्माण हेतु कोर कैप्टिल एरिया, साईड-1 एच०ई०सी० क्षेत्र, धुर्वा राँची में जगन्नाथपुर मंदिर के उत्तर एवं योगदा सत्संग महाविद्यालय के पूर्व में विधानसभा मुख्य मार्ग से सटा 3.45 एकड़ भूखण्ड को चिन्हित किया गया है।

6. दिनांक-15 जुलाई 2019 को आयोजित 9th Empowered Committee on TIES की बैठक में वाणिज्य सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में परियोजना पर विचार किया गया तथा रु० 44.60 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति, TIES share के रूप में अनुमान्य रु० 19.61 करोड़ तथा प्रथम किस्त के रूप में रु० 9.8 करोड़ विमुक्त करने पर सहमति दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-46012/19/2018-state cell dated 27.12.2019 के द्वारा योजना की प्रथम किस्त रु० 9.8 करोड़ इस योजना के लिए खोले गए खाते में उपलब्ध करा दिया गया।

7. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 5 फरवरी 2019 द्वारा TIES योजना कार्यान्वित किये जाने के क्रम में 3rd party inspection के माध्यम से योजना की उवदपजवतपदह एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया है। परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी की नियुक्ति पर लगभग 2 प्रतिशत यानि रु० 87.74 लाख का व्यय होने की संभावना है।

8. इस परियोजना का Implementing & Technical Agency जिडको है, कार्यन्वित किये जाने के क्रम में 3rd party inspection के माध्यम से योजना की monitoring एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। जिडको के द्वारा WTC के परिचालन की आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। जिडको के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में डी०पी०आर० तैयार कराने, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जमशेदपुर से डी०पी०आर० की vetting एवं अन्य आवश्यक तकनीकी सहयोग पर किए गए अथवा किए जाने वाले

(कुल सेनटेज चार्ज रु० 2.43 करोड़) का व्यय वहन राज्यांश से उक्त परियोजना के मद में प्राप्त राशि द्वारा किया जाएगा (वित्त विभाग का पत्रांक 3201 दिनांक-04.01.2016)। जिडको को सेनटेज चार्ज के लिए प्रावधानित राशि (रु० 2.43 करोड़) के अन्तर्गत ही 3rd Party Inspection Charge देय होगा ।

9. इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत संपत्ति का स्वामित्व Implementing agency (JIIDCO) के पास होगा। संपत्ति के रख-रखाव की जिम्मेदारी Implementing agency (JIIDCO) की होगी, जिसके लिए उपयोगकर्ता/सदस्यों से उपयोगिता शुल्क लिया जायेगा ।

10. अतः भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत World Trade Centre (WTC) Ranchi के योजना का वित्त पोषण निम्नांकित रूप से प्रस्तावित है:-

Sl. no	Items	Project cost Rs. In crore	Funding Rs. In Crore
1	Project Cost approved by Govt of India	44.60	-
2	Add Centage charge of JIIDCO at (1) as pr Fin. Regulation no.-3201 dated 04.11.2016	2.43	-
	Cost for 3 rd Party Inspection		
3	Grant from Gol	-	19.61
4	Fund required from State	-	27.40
	Project Cost	47.03	47.03

यह एक नई योजना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में State Scheme-JIIDCO (0899) मुख्य शीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-01-जिडको को हिस्सापूँजी-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी जिडको के माध्यम से टाईज योजनान्तर्गत राँची में WTC की निमित्त राज्यांश की राशि रु० 2.00 करोड़ उपबंधित किया गया है, जिसका विपत्र कोड-23S48856019001000545 है ।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-20.10.2021 की बैठक में मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।